अमानक 198 सायलेंसर पर चलाया रोड रोलर

यातायात पुलिस ने मॉडिफाई सायलेंसर के खिलाफ की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 31 दिसंबर, शहर में यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यातायात महकमे ने बुधवार को 198 मॉडिफाइड साइलेंसरों को नष्ट किया है। यह कार्रवाई मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने की गई। जहां पुलिस ने सार्वजनिक रूप से जब्त साइलेंसरों पर रोलर चलाकर नष्ट किया गया है।

जानकारी अनुसार बीते 6 महीनों से छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की गई। इसी अभियान के तहत ये सभी साइलेंसर जब्त किए गए थे, जिन्हें आज नष्ट किया गया। यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर से लोगों को परेशानी हो रही है या ऐसा कोई वाहन नजर आता है, तो इसकी सूचना तत्काल यातायात थाना के मोबाइल नंबर 7701044959 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। वाहन नंबर के आधार पर संबंधित चालक पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर छिंदवाड़ा सीएसपी अजय राणा, यातायात निरीक्षक राकेश तिवारी के साथ ही देहात थाना, कुण्डीपुरा थाना, कोतवाली थाना और धर्मटेकरी चौकी के निरीक्षक व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि शहर में शांति भंग करने और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

चौरई पुलिस ने पकड़े आठ जुआंरी, ग्राम हिवाराकला का मामल, 12 हजार रुपए किए जब्त

छिंदवाड़ा। नए वर्ष के आगमन को लेकर चंद घंटे ही बचे है। लेकिन नए साल के शुरू होने के पहले ही जुएं के फड़ की महफिले सजना शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस ऐसे हार-जीत के खेल की महफिल में अपनी दबिश दे रही है। एक ऐसा ही मामला चौरई थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां मंगलवार-बुधवार की दरम्यिानी रात जुएं की फड़ पर पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना मिली कि चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम हिवराकला ग्राम में सड़क के समीप कुछ लोग बैठकर जुआफड़ पर हार-जीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी तो मौके से पुलिस ने राजेश पिता साधुराम वर्मा, दीपक पिता लच्छी वर्मा, कुंजबिहारी पिता गिरधारी, गोविंद पिता कन्हई वर्मा, अंकित पिता रतन वर्मा, राजेन्द्र पिता गलीचंद वर्मा, उदयसिंह पिता जगदीश वर्मा और अभिषेक पिता रामचरण वर्मा को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन जुआरियों के पास से 12 हजार 300 रूपए नगदी और 52 ताश के पत्तों को जब्त किया है।